कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

।। कार्य–विभाजन आदेश ।।

कमांक/ 06 /S.W./एक–5–1/2005–25 **बड़वानी, दिनांक 01/01/2025**

--0--

मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला–बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–8(7), 8(8), 214, 422(2) एवं 441 के तहत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ष 2025 हेतु आदेश दिनांक से आगामी आदेश होने तक के लिए क्षेत्राधिकार निम्नानुसार विभाजित करता हूँ, इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित है या प्रस्तुत किया गया है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :–

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1.	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी**	**तहसील न्यायालय सेंधवा की अधिकारिता को छोड़कर संपूर्ण सिविल जिला बड़वानी,**	**व्यवहार प्रकरण :–** 1. **मूल सांपत्तिक वाद** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद प्रकरण** 501 रूपये से अधिक व 1000 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण । 4. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसॉल्वेंसी) प्रकरण** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण। 5. **ऑर्बीट्रेशन एक्ट** (मध्यस्थता प्राधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. **तहसील बड़वानी/अंजड़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण** के समस्त प्रकरण । 7. **हिंदू विवाह अधिनियम 1955** एवं **भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम** के अंतर्गत आवेदन पत्र, तहसील अंजड़ एवं राजपुर (कुटुम्ब न्यायालय बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। 8. **भारतीय ट्रेड मार्क एवं ट्रस्ट एक्ट** के अंतर्गत आवेदन पत्र। 9. **भूमि अधिग्रहण अधिनियम** के प्रकरण । 10. **लोक न्यास अधिनियम** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 11. **प्रोबेट एवं लेटर ऑफ एडमिनीस्ट्रेशन के प्रकरण** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 12. **इंडियन गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट** अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 13. **सिविल न्याय पंचायत, म.प्र. शेड्यूल ट्राईब डेब्ट रिलीफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण। 14. **म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20** के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिका ।

			15. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें– ◆ प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़वानी, ◆ प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी ◆ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बडवानी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम) बडवानी द्वारा पारित निर्णय, व्यय पत्र एवं समस्त आदेशों के विरूद्ध ◆ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अंजड़ ◆ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड, राजपुर ◆ न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय बड़वानी के द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं समस्त आदेशों के विरूद्ध, ◆ भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम के मामलों से उदभुत होने वाली अपीलें व उनसे व्युतपन्न प्रवर्तन आदेश व विधिक प्रकरण। ◆ स्थानीय अथॉरिटी, द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं समस्त आदेशों के विरूद्ध। **16. धारा 246 एवं 260 म.प्र. न्याय पंचायत** संबंधी आवेदन पत्र । **17. धारा–24 व्यवहार प्रकिया संहिता** के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। **18. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज** के तहत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण, जो इस आदेश में उल्लिखित से अन्यथा हों। **19. अन्य समस्त प्रकार के वाद, आवेदन पत्र** आदि जो कि इस न्यायालय द्वारा श्रवणयोग्य हों, जो इस आदेश में उल्लिखित से अन्यथा हों । **20. जिला बड़वानी से अन्यथा जिले/राज्य से प्राप्त डिक्री** अथवा **अवार्ड से संबंधित निष्पादन कार्यवाहियां ।** **21. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । **22. जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाओं में उद्भुत विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा–20(ख)** के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के उल्लंघन से संबंधित प्रकरण। (म.प्रशासन विधि एवं विधायी विभाग की अधिसूचना दिनांक–30.01.2019 के अनुसार)
		संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी (तहसील न्यायालय सेंधवा की अधिकारिता को छोड़कर)	**<u>आपराधिक प्रकरण</u> :–** **23. सत्र प्रकरण** – संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी । **24. दांडिक अपीलें** । **25. दांडिक पुनरीक्षण याचिका** (ग्राम न्यायालय पुनरीक्षण को छोड़कर) **26. प्रकरणों के अंतरण** हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र । **27. जमानत (प्रतिभूति) आवेदन पत्र** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के अधीन प्रस्तुत होने वाले । **28. जिला बड़वानी की सीमा के अंतर्गत मानव अधिकार अधिनियम, 1993** के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र (इसमें तहसील न्यायालय सेंधवा में शामिल होने वाली सभी तहसीलें शामिल है)। **29. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।

			30. विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण व अन्य प्रकरण, जो इस आदेश में उल्लेखित से अन्यथा हों। **31. अन्य आपराधिक प्रकरण,** जिसका उल्लेख इस कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।
2.	**न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) बड़वानी**	**संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी**	**1. <u>दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य</u>** – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा वह प्रकरण जो समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश द्वारा अंतरित। **2. तहसील पाटी एवं ठीकरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण** के समस्त प्रकरण। **3. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । **<u>आपराधिक प्रकरण</u> :–** **4. अ.जा. एवं अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989** के तहत विशेष सत्र प्रकरण, निजी परिवाद पर से उद्भूत विशेष सत्र प्रकरण तथा उक्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र। **5. एन.डी.पी.एस. अधिनियम** के तहत पेश होने वाले प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरूद्ध अपराधों को छोड़कर) **6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले** सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन–पत्र एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण । **7. इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां**
3.	**न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी**	**संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी**	**<u>व्यवहार प्रकरण</u> :–** **1. तहसील राजपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण** के समस्त प्रकरण। **2. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य–** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित। **3. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ इस** न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । **<u>आपराधिक प्रकरण</u> :–** **4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के तहत पेश होने वाले प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाही। { भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं.25) के अधीन किया गया हों, को छोड़कर} **5. विद्युत अधिनियम 2003** के तहत पेश होने वाले सत्र खण्ड बड़वानी के समस्त विद्युत क्षैत्र (सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षैत्र को छोड़कर) संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरूद्ध अपराधों को छोड़कर)

			6. **जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाओं में उद्भुत अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019** के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7. **सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले** सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन पत्र व अन्य दाण्डिक व दीवानी प्रकरण। 8. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 9. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं महिलाओं के विरूद्ध अन्य अपराध** (OAW) **जैसे : बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य अपराध** से उद्भूत प्रकरण। (पुलिस आरक्षी केन्द्र बड़वानी, पाटी, सिलावद, पलसुद, अंजड़, ठीकरी, जुलवानिया, राजपुर, ओझर, नांगलवाडी की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध) 10. **तहसील न्यायालय सेंधवा की अधिकारिकता को छोड़कर बड़वानी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम** से उदभुत होने वाले प्रकरण। 11. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005** के अंतर्गत वे मामलें, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की धाराएं भी है।
4.	**न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा**		**<u>व्यवहार प्रकरण</u> :–** 1. **दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य** – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित । 2. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ इस** न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। **<u>आपराधिक प्रकरण</u> :–** 3. **सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले** सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण । 4. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भुत।
5.	**न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा**	**तहसील सेंधवा, वरला, पानसेमल, निवाली।**	**<u>व्यवहार प्रकरण :–</u>** 1. **मूल सांपत्तिक वाद** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण । 2. **लघुवाद प्रकरण** 501 रूपये से अधिक एवं 1000 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 3. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण । 4. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसॉल्वेंसी) प्रकरण** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के । 5. **हिंदू विवाह अधिनियम 1955** के तहत आवेदन पत्र। 6. **भारतीय विवाह** विच्छेद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र 7. **भारतीय ट्रेड मार्क** एवं **ट्रस्ट एक्ट** के तहत आवेदनपत्र 8. **भूमि अधिग्रहण अधिनियम** के तहत प्रकरण ।

			9. **प्रोबेट आवेदन, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम** के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 10. **इंडियन गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट** के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 11. **सिविल न्याय पंचायत, रिव्हीजन, म.प्र. शेड्यूल ट्राईब डेब्ट रिलीफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण । 12. **म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20** के तहत प्रस्तुत चुनाव याचिका । 13. **मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें–** ➔ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सेंधवा/ग्राम न्यायालय सेंधवा ➔ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंधवा ➔ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खेतिया ➔ स्थानीय अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं आदेशों के विरूद्ध । 14. **मोटर व्हीकल एक्ट** के तहत तहसील सेंधवा, वरला, पानसेमल, निवाली एवं आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत घटित दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण। 15. **दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य** – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित । 16. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । **<u>आपराधिक प्रकरण :–</u>** 17. **सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य** दाण्डिक **प्रकरण।** 18. **विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरूद्ध अपराधों को छोड़कर)। 19. **महिलाओं के विरूद्ध अन्य अपराध** (OAW) **जैसे : बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य अपराध** से उद्भूत प्रकरण। (पुलिस आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली एवं खेतिया की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध) 20. **निक्षेपो के हितो का संरक्षण अधिनियम** के अधीन तहसील सत्र खण्ड सेंधवा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलें प्रस्तुत होंगे। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 14.10.19 अवलोकनीय है। 21. **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सेंधवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया** के निर्णय एवं आदेश के फलस्वरूप उत्पन्न आपराधिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिका (प्रधान जिला न्यायाधीश के अपीलीय क्षैत्राधिकार को छोड़कर)। 22. **कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सेंधवा के आदेशों के विरूद्ध दांडिक पुनरीक्षण याचिका ।** 23. **आरक्षी केंद्र पानसेमल, निवाली, आबकारी विभाग, वन वृत्त सेंधवा, सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण वरला एवं खेतिया** से

			संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के जमानत आवेदन पत्र। 24. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । 25. **आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली एवं खेतिया** की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न विशेष अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पाक्सों अधिनियम, जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, सीधे उपार्पित होंगे। न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के उपरांत आगे की कार्यवाही हेतु सत्र न्यायालय को भेजेंगे। 26. **आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली एवं खेतिया** की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित अन्य सभी अपराध जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, सीधे उपार्पित होंगे। न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के उपरांत आगे की कार्यवाही हेतु सत्र न्यायालय को भेजेंगे। **<u>नोट ए</u>** :– आपराधिक अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं से संबंधित प्रकरण नियमानुसार रिसीव्ह करेंगे और विधिवत कार्यवाही कर आगे की कार्यवाही हेतु सत्र न्यायालय को भेजेंगे। **<u>नोट बी</u>** :– ऐसे आपराधिक सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जो सत्र खण्ड सेंधवा में अन्य किसी अधिनियम से उद्भुत होते है एवं जिनका इस कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेख नहीं है।
6.	**न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं सी.जे.एम. बड़वानी**	**तहसील बड़वानी,**	1. **नियमित वाद** 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद प्रकरण** 201 से 500 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम** के तहत पार्ट–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** प्रकरण 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक। 5. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. **धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें । 7. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 8. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । 9. **जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाओं में उद्भुत मेंटल हेल्थ–केयर एक्ट, 2017** के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
7.	**न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़वानी**	**तहसील पाटी**	1. **नियमित वाद** 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद प्रकरण** 201 से 500 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम** के तहत पार्ट–10 के अंतर्गत

			प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। **4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** प्रकरण 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक। **5. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। **6. धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें । **7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। **8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।
8.	**न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बड़वानी**	**तहसील बड़वानी,**	**1. नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। **2. लघुवाद** 200 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । **3. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रूपये तक प्रकरण । **4. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । **5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । **6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
9.	**न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बड़वानी**	**तहसील पाटी**	**1. नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। **2. लघुवाद** 200 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । **3. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रूपये तक प्रकरण । **4. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । **5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । **6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
10.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़**	**तहसील अंजड़, ठीकरी तथा राजपुर**	**1. नियमित वाद** 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। **2. लघुवाद प्रकरण** 201 से 500 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। **3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम** के तहत पार्ट–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। **4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** प्रकरण 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक। **5. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। **6. धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें । **7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं

			अन्य कार्य। **8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।
11.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़**	**तहसील अंजड़ एवं ठीकरी**	1. **नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद** 200 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रूपये तक प्रकरण । 4. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। 6. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
12.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर**	**तहसील राजपुर**	1. **नियमित वाद** 2,50,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद** 200 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 3. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 2,50,000 रूपये तक के प्रकरण । 4. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 2,50,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 5. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण 6. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।
13.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, राजपुर**	**तहसील राजपुर**	1. **नियमित वाद 2,50,001 रूपये से 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण।** 2. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 2,50,0001 रूपये से 5,00,000 रूपये तक के प्रकरण । 3. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 2,50,0001 रूपये से 5,00,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 4. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण 5. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।
14.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सेंधवा**	**तहसील सेंधवा, वरला, पानसेमल एवं निवाली**	1. **नियमित वाद** 5,00,001 से 1,00,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद** 201 से 500 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 3. **भारतीय उत्तराधिकार विधान** के पार्ट–10 के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 1,00,00,000 रूपये तक के प्रकरण। 5. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत्** _5,00,001 से 1,00,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण । 6. **धारा–139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें। 7. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । 8. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस

			न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत ।
15.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सेंधवा**	**तहसील सेंधवा, वरला**	1. **ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008** के तहत तहसील सेंधवा, वरला की ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के सिविल वाद । 2. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । 3. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत ।
16.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सेंधवा**	**तहसील सेंधवा, वरला,**	1. **नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद** 200 रूपये मूल्यांकन तक के प्रकरण। 3. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम** के तहत् 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य।
17.	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया**	**तहसील पानसेमल, निवाली**	1. **नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण । 2. **लघुवाद** 200 रूपये मूल्यांकन तक के प्रकरण । 3. **धारा–22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम** के तहत् 5,00,000 रू. तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 4. **धारा–139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें। 5. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत ।

।। <u>आवश्यक निर्देश</u> ।।

1. ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश में अत्यावश्यक प्रकृति के वादो एवं आवेदन पत्रों को ग्रहण करने एवं निराकृत करने की कार्यवाहीं संबंधित क्षैत्राधिकार न्यायालय द्वारा की जा सकेगी।
2. किसी अभियुक्त अथवा सहअभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 किसी विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया है, तो पश्चातवृर्ती कम में उस अभियुक्त या अन्य सहअभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र उन्हीं पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जाएगा। लिपिकीय त्रुटिवश या जानकारी के अभाव में उक्त निर्देश का पालन न हो पाने की दशा में संबंधित न्यायालय ऐसे आवेदन को सत्र न्यायालय को वापस करेंगे तथा उक्त आवेदन पत्र ऐसे अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माने जाएंगे, जिसके द्वारा पूर्ववर्ती आवेदन निराकृत किया गया है।
3. सदस्य–प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा के दीर्घ अवकाश एवं अनुपस्थिति की दशा में उनके द्वारा निराकृत क्लेम प्रकरणों तथा रिक्त न्यायालयों सदस्य–तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा, सदस्य अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा द्वारा निराकृत किए गए क्लेम प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों से संबंधित राशि जमा करने या भुगतान करने की कार्यवाहियॅा सदस्य–द्वितीय अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा द्वारा की जावेंगी।
4. माननीय उच्च न्यायालय से अपील/पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों में रिमाण्ड होकर अथवा

निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण में अग्रिम कार्यवाहीं यदि कोई हों तो पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के स्थान पर वर्तमान में उनकी जगह पदस्थ पीठासीन अधिकारी के द्वारा संपादित किए जाएंगे।

5. ऐसे न्यायालय जो पूर्व में अस्तित्व में थे तथा वर्तमान में रिक्त है या समाप्त हो चुके है, के द्वारा निराकृत किए गए प्रकरणों की आनुषंगिक कार्यवाहियॉ/क्लेम प्रकरण की दशा में संबंधित पक्षकारों से संबंधित राशि जमा करने या भुगतान करने की कार्यवाहीं निम्न व्यवस्था अनुसार की जाएगी–

रिक्त न्यायालय	वर्तमान में अधिकृत न्यायालय
द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी/ सदस्य, द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बडवानी	प्रथम जिला न्यायाधीश बड़वानी के प्रथम जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट), बड़वानी
तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी/ सदस्य, तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी
तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा/ सदस्य, तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा
प्रथम एवं द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी लिंक न्यायालय सेंधवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा/ सदस्य, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश बड़वानी के तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश बड़वानी के चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बडवानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बड़वानी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बडवानी
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सेंधवा
व्य.न्या. कनिष्ठ खंड सेंधवा के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, सेंधवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खेतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सेंधवा
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड/अतिरिक्त न्यायाधीश अंजड	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़ के अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़
अतिरिक्त/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, राजपुर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर

।। <u>न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश – प्रभार</u> ।।

निम्न तालिका के कॉलम कमांक 2 में उल्लेखित न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में कॉलम कमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम कमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम कमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम कमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम कमांक 5 तथा कॉलम कमांक 5 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम कमांक 6 में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा संबंधित न्यायालय/न्यायालयों का **आवश्यक कार्य** संपादित किया जावेगा :–

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी**		विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी) बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा
2	**परिवार न्यायालय बड़वानी**		प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा
3	**विशेष न्यायाधीश बड़वानी**		प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा
4	**प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी**	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि., 2012 के तहत कार्य एवं शेष प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्य	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा
		भ्रष्टाचार निवा. अधि. के तहत कार्य एवं शेष समस्त कार्य	विशेष न्यायाधीश(एस. सी.एस.टी.) बडवानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा
5	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा**		द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्या.,बड़वानी
6	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा**		प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बडवानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्या.,बड़वानी
7	**प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी**		द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बडवानी	प्र.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड़
8	**द्वि. व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी**		प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बडवानी	प्र.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
9	**प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी**		द्वितीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्यव. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
10	**द्वितीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी**		प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्यव. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
11	**व्य.न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड**		अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	अति.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	प्रथम व्य.न्या. वरिष्ठ खंड बड़वानी
12	**अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड**		व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड़	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
13	**व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर**		अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड,	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		खंड, राजपुर	अंजड़	अंजड़	खंड, बड़वानी
14	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सेंधवा**	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
15	**न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सेंधवा**	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	अति.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर
16	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सेंधवा**	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	अति.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर

Sd/—
(महेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 42 /एक–5–1/2005–25 **बड़वानी, दिनांक 09/01/2025**

प्रतिलिपि :–

01–माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित
02–माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, मध्यप्रदेष उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03–प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बडवानी।
04–विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।
05–प्रथम / द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सेंधवा।
06–प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं बड़वानी ।
07–व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़ / सेंधवा।
08–प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी ।
09–व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर / सेंधवा / खेतिया।
10–अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अंजड़ / राजपुर।
11–प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी।
12–अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
13–प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
14–प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/1/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)